

दावा संख्या - 122/2018

सुरेश कुमार पुत्र रामकल्याण गुप्ता जाति महाजन
निवासी सुन्दरपुरा तहसील जयपुरागण्ड
दिला-जयपुर हाल निवासी मण्डल 951 घाभाणी
मार्केट चौडा रास्ता जयपुर ।
..... दादी

बनाम

- 1) हरिनारायण पुत्र स्व० दामोदर (दोराने बाद मृतक)
11. शान्ति गुप्ता पति हरिनारायण गुप्ता
- 112 महेष् पुत्र स्व० हरिनारायण
113. शालेश पुत्र स्व० हरिनारायण
- 114- काहादेवी पुत्री स्व० हरिनारायण
115. पुष्पा देवी पुत्री स्व० हरिनारायण
- 116 मन्जू देवी पुत्री स्व० हरिनारायण
- 117 मधु गुप्ता पुत्री स्व० हरिनारायण

समस्त जातियान महाजन निवासी सुन्दरपुरा
तहसील जयपुरागण्ड हाल निवासी. मण्डल 1524 प्लासगण्ड

- 2) हरिनारायण पुत्र लोहरी लाल जाति खाती
निवासी सुन्दरपुरा तहसील जयपुरागण्ड हाल
निवासी - भानपुर खुर्द तहसील जयपुरागण्ड (जयपुर)
- 3) रामजीलाल पुत्र स्व० दामोदर गुप्ता जाति
महाजन निवासी - सुन्दरपुरा हाल निवासी -
21671 प्लाहर नगर (जयपुर)
- 4) दिनेश कुमार पुत्र स्व० रामकल्याण गुप्ता
जाति महाजन निवासी - सुन्दरपुरा तहसील
जयपुरागण्ड हाल निवासी मकान नं. 951
घाभाणी मार्केट चौडा रास्ता जयपुर ।
- 5) योगिन्द्र सिधाल पुत्र रामकिशोर सिधाल
जाति महाजन निवासी सुन्दरपुरा तहसील
जयपुरागण्ड हाल निवासी 0113 सुखी जीवन
वेपरमेन्ट जंक्शन रोड कजमेर रोड जयपुर ।

1. श्री मति नेहा सिधल चर्भपति श्री योगिन्द्र
सिधल जाति महाजन निवासी ग्राम सुन्दरपुरा
तहसील जमवारामगढ हाल निवासी 0-13 सुखी
जीवन अपार्टमेंट जंकाव रोड जणमेर रोड
जयपुर।

2) राजस्थान सरकार अग्नि तहसीलदार
जमवारामगढ जिला - जयपुर

..... प्रतिवादीगण

- 1) वादी वकील - श्री किशन लाल वैरवा
- 2) प्रतिवादी वकील - श्री रामस्वरूप शर्मा

दादा वाकत बंशवारा रूपाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,
188 राज० काश्त० अधिनियम

निर्णय दिनांक -

वादी ने एक दाद वाकत बंशवारा
व रूपाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा
53.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
के तहत पेश किया। दाद का संक्षेप
में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम
सुन्दरपुरा तहसील जमवारामगढ जिला -
जयपुर में खातेदारी भूमि रकण 55
रकबा 4.83 हेक्टेयर, रकण 54 रकबा
0.10 हेक्टेयर भूमि रिश्त है उक्त भूमि
में वादी व प्रतिवादीगण कपत-कपने

हिस्से अनुसार काबिज काबत है। उक्त
 भूमियों का विधिक बंटवारा नहीं हुआ है
 कुछ दीगर लोग कुछ भूमियों का बंटवारा
 करने पर आकांक्षा है यदि बिना कही
 भूमियों का बंटवारा उतिवादीकरण करते हैं
 तो घादी को अक्षतनीय इति होगी जो काबत
 के विपरीत है। कतः विधिक बंटवारा किसे
 जानें ह्यु निषेधन विषय।

उक्त घाद पत्र पर विधिक सुनवाई
 करे दिनांक 27/12/2018 को प्राथमिक
 डिडी के आदेश पर किसे शपथ तथा
 तहसीलदार अमवारामगढ को निदेशन दिवस
 बाधे कि वे उभय पक्षों की मौजूदगी
 में कुरैजात के प्रस्ताव ब्यापार कर कुरैजात
 रिपोर्ट तीन-तीन भूमियों में कालग-कालग
 बंभारकर मिश्रवावे।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार
 अमवारामगढ ने अपने पत्र क्रमांक 3876
 दिनांक 2/3/2019 को कुरैजात रिपोर्ट निषेधन
 दिनांक 18/3/2019 को पत्रवली के
 रिकार्ड पर नीलाप राणा।

प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट पर उभय
 पक्षों को सहमति है प्राप्त रिपोर्ट के
 अनुसार बाड में अग्रिम डिडी निम्न
 प्रकार से पालन की जाती है।

आशु देवी पति हरिनारायण, नरेन्द्र, राजेश
 पुत्रान हीनारायण, कासा देवी पुष्पा, मंगू,
 मधु पुत्रीन हरिनारायण हिरसा पति महापति
 स० देव के स्व० न०-54, 55 रकबा कुमवा!
 0.10 हेक्टर, 1.1325 हेक्टर काबत विषय
 जाना है,

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी
 अमवारामगढ (जयपुर)

- 2- हरिनारायण पुत्र श्री लोहरी लाल हिस्सा
को रकवा गिवाती भागपुरखुर्द को रकवा
531 रकवा 0.0058 हेक्टर कापम किया
जाता है।
- 3- रामजीलाल पुत्र श्री दामोदर हिस्सा खां देह
को रकवा 532 रकवा 1.2325 हेक्टर
कापम किया जाता है।
- 4- योगिक सिधल पुत्र श्री रामकिशोर सिधल
हिस्सा खां देह को रकवा 533 रकवा
0.7393 हेक्टर कापम किया जाता है।
- 5- मेहा सिधल पीला श्री योगिक सिधल हिस्सा
खां देह को रकवा 534 रकवा 0.4930
हेक्टर कापम किया जाता है।
- 6- दिनेश कुमार पुत्र श्री रामकल्याण खां देह
को रकवा 535 रकवा 0.6162 हेक्टर
कापम किया जाता है।
- 7- सुरेश कुमार पुत्र श्री रामकल्याण खां देह
को रकवा 536 रकवा 0.6162 हेक्टर
कापम किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार वाड में अतिरिक्त
डिब्बी पालि की जाती है डिब्बी पाली हो
गिरफ्त व डिब्बी की प्रति वही लालदा
जायारामगढ (जयपुर) को पालामाफ हूँ
मिपकाई जावे।

पत्रादली फेराल शुमार होकर
सम्बर से काम हो वाड प्रति दाखिल
रफ्त हो।
गिरफ्त सुनाया बापा।

UP
उपखण्ड अधिकारी
जयपुरगढ (जयपुर)

